समाहरणालय,लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि लातेहार जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन व्यक्तियों का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका है उनका आधार संख्या, बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल नम्बर प्रविष्टि कर उन सभी का सत्यापन किया जा रहा है।सत्यापनके तहत कतिपय व्यक्तियों का,राशन कार्ड में अंकित नाम एवं पता से आधार संख्या,एवं बैंक खाता संख्या में अंकित नाम पता में मेल नही हो रहा है।वैसे व्यक्तियों को खाद्यान्न से वंचित भी रहना पड़ सकता है।

अतः वैसे व्यक्ति जिनका राशन कार्ड में अंकित नाम एवं पता से आधार संख्या,एवं बैंक खाता संख्या में अंकित नाम एवं पता में मेल नही हो रहा है वे आधार संख्या एवं बैंक खाता में संशोधन कराते हुए राशन कार्ड में प्रविष्टि हेतु जनवितरण प्रणाली विक्रेता/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।ताकि संशोधित किया जा सके।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
लातेहार